Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

नवंबर 2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा

- हरियाणा दिवस, 2024 3
- हरियाणा में नए मुख्य सचिव 3
- विनबैक्स 2024 4
- ICAR-NRC इक्विन को वैश्विक मान्यता 6
- हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज 7
- हरियाणा में नई SC आरक्षण श्रेणियाँ 8
- सुखना झील को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया 9
- अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 10
- हरियाणा विधानसभा में पारित विधेयक 12
- गुरुग्राम में AQI 402 दर्ज किया गया 13
- गुरुग्राम की ग्रीन बेल्ट में मलबा 15
- हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 16
- बीमा सखी 18
- हरियाणा के किसानों को उर्वरक की कमी का सामना करना पड़ रहा है 18
- 'ग्रीन वॉयस' पुरस्कार 20
- राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 21

दृष्टि The Vision

नोट :

हरियाणा

हरियाणा दिवस, 2024

प्रमुख बिंदु

- **पृष्ठभूमि:**
  - **भाषाई और सांस्कृतिक पहचान:** सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अलग हरियाणा ने आज़ादी के बाद पंजाब से स्वायत्तता की मांग की।
  - **राज्य का दर्जा देने की मांग:** प्रमुख नेताओं ने हरियाणा की सांस्कृतिक और भाषाई विशिष्टता पर ज़ोर देते हुए एक हिंदी भाषी राज्य की वकालत की।
  - **पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966:** भारतीय संसद द्वारा पारित, यह अधिनियम हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निर्माण में महत्त्वपूर्ण था।
  - **शाह आयोग (1966): न्यायमूर्ति जे.सी. शाह** के अधीन गठित इस आयोग ने भाषाई जनसांख्यिकी के आधार पर विशिष्ट सीमाओं की सिफारिश की थी।
  - **सिफारिश: हरियाणा को** हिंदी भाषी आबादी के अनुरूप क्षेत्र आवंटित किये जाएँ, जिनमें **हिसार और गुड़गाँव** जैसे ज़िले भी शामिल हों।
- **महत्वपूर्ण व्यक्तित्व:**
  - **पंडित भगवत दयाल शर्मा:** हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, वे पूर्ण राज्य के लिये एक प्रमुख समर्थक थे।
  - **न्यायमूर्ति जे.सी. शाह:** शाह आयोग की अध्यक्षता की, जो हरियाणा की सीमाओं के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण था।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966

- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ने पंजाब राज्य के कुछ हिस्सों को अलग करके नए राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया।
- **हरियाणा** एक नया राज्य था, जो राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें हिसार, रोहतक, गुड़गाँव, करनाल और महेंद्रगढ़ ज़िले शामिल थे।
- **हिमाचल प्रदेश में** पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया, जो उस समय केंद्र शासित प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश वर्ष 1971 में एक राज्य बना।
- पंजाब की राजधानी **चंडीगढ़** को पंजाब और हरियाणा दोनों की अस्थायी राजधानी के रूप में कार्य करने के लिये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 भारतीय संसद द्वारा **18 सितंबर, 1966** को पारित किया गया था। यह पंजाबी सूबा आंदोलन का परिणाम था, जिसका उद्देश्य पंजाबी भाषी राज्य बनाना था।

हरियाणा में नए मुख्य सचिव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **1989 बैच के IAS अधिकारी** विवेक जोशी को हरियाणा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जिससे राज्य में महत्त्वपूर्ण **प्रशासनिक परिवर्तन** हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

- **नियम और ज़िम्मेदारियाँ:**
  - जोशी **सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, संसदीय मामले और सतर्कता** सहित विभागों की देखरेख करेंगे।
  - वह प्रभारी सचिव के रूप में योजना समन्वय का भी प्रबंधन करेंगे।

नोट :

- **पृष्ठभूमि:**
  - इस नियुक्ति से पहले, जोशी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशनभोगी मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे।
  - **मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 26 अक्तूबर** को राज्य सरकार के अनुरोध पर हरियाणा कैडर में उनके प्रत्यावर्तन को मंजूरी दे दी।
    - जोशी के आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करने तक हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अनुराग रस्तोगी अस्थायी रूप से मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे।

राज्य के मुख्य सचिव

- **नियुक्ति:**
  - मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। चूँकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की कार्यकारी कार्यवाही है, इसलिये यह राज्य के राज्यपाल के नाम पर की जाती है।
- **पद :**
  - मुख्य सचिव का पद भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सिविल सेवाओं में सबसे वरिष्ठ पद है।
  - यह पद भारतीय प्शासनिक सेवा का कैडर पद है।
  - मुख्य सचिव मंत्रिमंडल के सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है।
- **कार्यकाल:**
  - मुख्य सचिव के कार्यालय को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से बाहर रखा गया है। इस पद के लिये कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है।

विनबैक्स 2024

चर्चा में क्यों?

5वाँ वियतनाम-भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास, **"विनबैक्स 2024" हरियाणा के अंबाला** में शुरू हुआ।

प्रमुख बिंदु

- **विनबैक्स 2024 के बारे में:**
  - **द्वि-सेवा भागीदारी के साथ विस्तारित दायरा:**
    - पहली बार इस अभ्यास में भारत और वियतनाम की थलसेना एवं वायुसेना दोनों के कार्मिक शामिल हो रहे हैं, जिससे अभ्यास का दायरा बढ़ गया है।
  - **उद्देश्य:**
    - इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त सैन्य क्षमता का निर्माण करना है, तथा **अध्याय VII** के अंतर्गत **संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों** के लिये **इंजीनियर और मेडिकल टीमों की तैनाती** पर ध्यान केंद्रित करना है।
  - **सत्यापन अभ्यास:**
    - **मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR)** प्रदर्शन और उपकरण प्रदर्शन सहित 48 घंटे का सत्यापन अभ्यास, संयुक्त राष्ट्र मिशन परिदृश्यों के तहत टुकड़ियों की तकनीकी क्षमताओं का मूल्यांकन करेगा।
  - **सांस्कृतिक विनिमयन:**
    - यह अभ्यास दोनों देशों के सैनिकों के लिये एक-दूसरे की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिये एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
- **भारत और वियतनाम:**
  - दोनों देश एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। वियतनाम **भारत की एक्ट ईस्ट नीति** और **इंडो-पैसिफिक विजन** में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना से तात्पर्य संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने में मदद करने के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जाने वाली गतिविधियों** से है।
  - संघर्षों की जटिल प्रकृति का जवाब देने और संघर्ष से शांति की ओर संक्रमण में देशों को समर्थन देने के लिये स्थापित,
  - संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, **आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा को छोड़कर, सहमति, निष्पक्षता और बल का प्रयोग न करने के सिद्धांतों** के तहत काम करती है।
  - यद्यपि अधिकांश शांति सैनिक सैन्य या पुलिस हैं, तथापि लगभग 14% नागरिक हैं।

ICAR-NRC इक्विन को वैश्विक मान्यता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत **पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, हिसार (ICAR-NRC इक्विन) को इक्विन पिरोप्लास्मोसिस के लिये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH)** संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में नामित करने की सुविधा प्रदान की है।

मुख्य बिंदु

- **इक्विन पिरोप्लास्मोसिस:**
  - इक्विन पिरोप्लास्मोसिस, **जो टिक-जनित** (टिक के काटने से फैलने वाले रोग) **प्रोटोज़ोआ परजीवी *बेबेसिया कैबाली और थेलेरिया इक्वी* के कारण होता है, घोड़ों, गधों, खच्चरों और ज़ेबरा को** प्रभावित करता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - भारत में इस रोग की सीरोप्रिवलेंस 15-25% है तथा **उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में यह 40% तक है,** जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव, उत्पादकता में गिरावट और व्यापार प्रतिबंधों के कारण आर्थिक क्षति होती है।
  - NRC इक्विन ने इक्विन पिरोप्लास्मोसिस के लिये उन्नत नैदानिक उपकरण विकसित किये हैं, जिनमें **एलिसा, अप्रत्यक्ष फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, प्रतिस्पर्द्धी एलिसा (ELISA), रक्त स्मीयर परीक्षा, MASP इन-विट्रो कल्चर सिस्टम और एंटीजन का पता लगाने के लिये PCR शामिल हैं।**
- **भारत में घोड़ों की जनसंख्या:**
  - **20वीं पशुधन जनगणना** के अनुसार, भारत में लगभग **0.55 मिलियन अश्व (घोड़े, टट्टू, गधे, खच्चर)** हैं जो आजीविका और विभिन्न उद्योगों में योगदान देते हैं।
    - इनमें से 0.34 मिलियन घोड़े और टट्टू, 0.12 मिलियन गधे और 0.08 मिलियन खच्चर हैं, जिनकी **अधिकांश संख्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में है।**
- **WOAH संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में NRC इक्विन की भूमिका:**
  - WOAH संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में, NRC इक्विन **वैश्विक स्तर पर सहयोग करेगा, नैदानिक सेवाएँ प्रदान करेगा, तकनीकी विशेषज्ञता साझा करेगा और इक्विन पिरोप्लास्मोसिस पर अनुसंधान को आगे बढ़ाएगा।**
  - NRC इक्विन अब **WOAH का दर्जा प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय प्रयोगशाला है,** जो एवियन इन्फ्लूएंज़ा, रेबीज़, PPR और लेप्टोस्पायरोसिस के लिये मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में शामिल हो गई है।

- **औपचारिक घोषणा:**
  - ICAR-NRC इक्विन का आधिकारिक पदनाम मई 2025 में **92वें WOAH महाधिवेशन** और **विश्व प्रतिनिधि सभा (World Assembly of Delegates) में घोषित किया जाएगा।**
  - यह पदनाम **भारत की नैदानिक क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को सुदृढ़ करता है** तथा पशु स्वास्थ्य, विशेषकर अश्व रोगों के क्षेत्र में भारत की अग्रणी स्थिति को बढ़ाता है।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH)

- OIE के रूप में स्थापित, WOAH एक **मानक-निर्धारक निकाय है जिसे स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों पर समझौते के तहत मान्यता प्राप्त है।**
- यह वैश्विक पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिये कार्य करता है और इसका **मुख्यालय पेरिस, फ्राँस** में है।
- WOAH के 183 सदस्य देश थे, जिनमें भारत भी शामिल था।
- यह देशों को रोग के प्रवेश को रोकने में सहायता करने के लिये **स्थलीय पशु स्वास्थ्य संहिता (Terrestrial Animal Health Code)** जैसे दिशा-निर्देश बनाता है ।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) WOAH मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिशा-निर्देश के रूप में स्वीकार करता है।

हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार के अनुसार, कन्या भ्रूण हत्या के लिये बदनाम हरियाणा का जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) **आठ वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया** है।

मुख्य बिंदु

- **हरियाणा में लिंगानुपात में गिरावट:**
  - **हरियाणा में 2024 के पहले 10 महीनों के लिये** लिंगानुपात 905 दर्ज किया गया, जो वर्ष 2022 से 11 अंकों की गिरावट है।
  - यह **2016 के बाद से सबसे कम आँकड़ों में से एक है**, जो राज्य के लिये लगातार चुनौती का संकेत देता है।
- **सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले:**
  - गुरुग्राम: 859
  - रेवाड़ी: 868
  - चरखी दादरी: 873
  - रोहतक: 880
  - पानीपत: 890
  - महेंद्रगढ़: 896
  - हरियाणा विश्व स्वास्थ्य संगठन **द्वारा अनुशंसित आदर्श लिंगानुपात 950 से नीचे बना हुआ है।**
  - गुरुग्राम के खराब प्रदर्शन के लिये आंशिक रूप से जून से अगस्त 2024 के दौरान **राज्य पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके परिणामस्वरूप जन्म पंजीकरण कम हुए।**

नोट :

- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रभाव :**
  - हालाँकि, **वर्ष 2020 में फिर से गिरावट शुरू हुई** और यह प्रवृत्ति आज भी जारी है।
  - **वर्ष 2015 में शुरू किये गए "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान ने वर्ष 2019 तक लिंगानुपात को बढ़ाकर 923 कर दिया।**
- **सामाजिक एवं सांस्कृतिक चुनौतियाँ:**
  - हरियाणा में सामाजिक-आर्थिक कारकों और सांस्कृतिक मानदंडों के कारण **बेटों को प्राथमिकता** दी जाती है ।
  - परिवारों को बेटियों के भाग जाने से संभावित अपमान का डर रहता है, दहेज का बोझ लगता है तथा लड़कियों से सीमित आर्थिक लाभ की आशंका रहती है।
- **लिंग वरीयता का अंतर-राज्य प्रभाव:**
  - दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे **पड़ोसी राज्य कथित तौर पर** कम कड़े नियमों के कारण **हरियाणा के निवासियों को अवैध लिंग आधारित गर्भपात के लिये आकर्षित करते हैं।**
  - इन राज्यों में अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर कभी-कभी वित्तीय लाभ के लिये भ्रूण के लिंग की गलत जानकारी देते हैं।
- **लिंग परीक्षण का प्रवर्तन और चुनौतियाँ:**
  - **वर्ष 2005 से अब तक हरियाणा में अवैध लिंग निर्धारण पर अंकुश लगाने** के लिये लगभग 1,200 छापे मारे गए हैं, लेकिन सफलता दर में गिरावट आ रही है, क्योंकि जाँचकर्त्ता अधिक सतर्क हो गए हैं।
- **लिंग असंतुलन के सामाजिक परिणाम:**
  - विषम लिंगानुपात के कारण **हरियाणा में कई पुरुषों को विवाह योग्य साथी ढूँढने में कठिनाई होती है** तथा कुछ गाँवों में तो सैकड़ों अविवाहित पुरुष पाए गए हैं।
  - कुछ परिवारों में **उपेक्षा और** कुपोषण लड़कियों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ या असमय मृत्यु हो जाती है।

कन्या भ्रूण हत्या एवं शिशु हत्या:

- भारत में कन्या भ्रूण हत्या की दर विश्व में **सबसे अधिक है।**
- कन्या भ्रूण हत्या का कारण **पुत्र प्राप्ति की प्रबल चाह, दहेज प्रथा तथा उत्तराधिकारी की पितृवंशीय आवश्यकता है।**
- **2011 की जनगणना में** 0-6 वर्ष आयु वर्ग में अब तक का सबसे कम लिंगानुपात 914 दर्ज किया गया है, जिसमें 30 लाख लड़कियाँ लापता हैं; वर्ष 2001 में यह 78.8 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2011 में 75.8 मिलियन हो गया।

हरियाणा में नई SC आरक्षण श्रेणियाँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिये अनुसूचित जातियों (SC) **के भीतर उप-वर्गीकरण** लागू किया।

प्रमुख बिंदु

- **सर्वोच्च न्यायालय के उप-वर्गीकरण पर निर्णय:**
  - 1 अगस्त 2024 को, **सर्वोच्च न्यायालय** ने फैसला सुनाया कि **राज्यों को अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने का संवैधानिक अधिकार है,** जो इसकी सामाजिक विविधता को स्वीकार करता है।
  - इस फैसले के बाद, **हरियाणा सरकार ने** अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण को **मंज़ूरी** दे दी।

नोट :

- **हरियाणा में उप-वर्गीकरण:**
  - **हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग** ने अनुसूचित जाति आरक्षण को **दो श्रेणियों** में विभाजित करने की सिफारिश की:
    - **वंचित अनुसूचित जातियाँ (DSC):** इसमें धानक, बाल्मीकि, मज़हबी सिख और खटीक जैसी **36 जातियाँ शामिल** हैं, जिन्हें अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण नौकरियों में SC आरक्षण कोटे का **50%** प्राप्त होगा।
    - **अन्य अनुसूचित जातियाँ (OSC):** इसमें चमार, जटिया चमार, रेहगर, रैगर, रामदासी, रविदासी, जाटव, मोची और रामदासिया जैसी जातियाँ शामिल हैं।
- **हरियाणा में DSC के लिये शैक्षिक कोटा:**
  - वर्ष 2020 में, हरियाणा ने **अनुसूचित जाति (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम** लागू किया, जिसके तहत **उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति की 50% सीटें DSC श्रेणी** के लिये आरक्षित कर दी गईं।

सुखना झील को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्रीय** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय **ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने** के उद्देश्य से **हरियाणा के पंचकूला ज़िले** में सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किमी. से 2.035 किमी. तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित किया है।

मुख्य बिंदु

- **ESZ का** कुल **क्षेत्रफल 24.60 वर्ग किमी.** है।
- **ESZ में निषिद्ध और विनियमित गतिविधियाँ:**
  - गतिविधियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विनियमित किया **जाता है।**
- **निषिद्ध गतिविधियाँ:**
  - वाणिज्यिक खनन, **पत्थर उत्खनन,** पेराई इकाइयाँ और नई सॉमिल या आरा मिल्स।
  - प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना करना।
  - **खतरनाक पदार्थों का** उपयोग या उत्पादन तथा **ईंधन की लकड़ी** का व्यावसायिक उपयोग।
  - प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्रों में **अनुपचारित अपशिष्टों का निर्वहन।**
- **सुखना वन्यजीव अभयारण्य:**
  - सुखना वन्यजीव अभयारण्य **25.98 वर्ग किमी.** (लगभग 6420 एकड़) में विस्तृत है, जो **केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में है** और इसकी **सीमाएँ हरियाणा और पंजाब से लगती हैं।**
  - **यह अभयारण्य** शिवालिक तलहटी में स्थित है, जिसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर माना जाता है।
  - **यह** वन्यजीव अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 की कम से कम **सात पशु प्रजातियों का पर्यावास है, जिनमें** तेंदुआ, भारतीय पैंगोलिन, **सांभर, सुनहरा सियार,** किंग कोबरा, अजगर **और गोह (मॉनिटर छिपकली)** शामिल हैं।
    - अनुसूची **1 की** प्रजातियों को संकटग्रस्त माना जाता है तथा उन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है।
  - इसके अलावा, **अनुसूची 2 के** पशु प्रजातियाँ जैसे सरीसृप, तितलियाँ, पेड़, झाड़ियाँ, चढ़ने वाले पौधे, जड़ी-बूटियाँ तथा 250 पक्षी प्रजातियां भी इस अभयारण्य में निवास करती हैं।
    - **वर्ष 2020 में,** पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने **सुखना झील को एक "जीवित इकाई" घोषित किया** और पर्यावरण मंत्रालय को पंजाब और हरियाणा में अभयारण्य की सीमा से कम से कम 1 किमी. ESZ स्थापित करने का निर्देश दिया।

नोट :

पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)

- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** की **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकारों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत **राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर** आने वाली भूमि को पारिस्थितिक रूप से दुर्बल क्षेत्र या **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करना चाहिये।**
- जबकि **10 किलोमीटर का नियम एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है**, इसके आवेदन की सीमा अलग-अलग हो सकती है। **10 किलोमीटर से परे के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है,** अगर वे बड़े पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण **"संवेदनशील गलियारे" रखते हैं।**

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 (IGM)** समारोह के हिस्से के रूप में **11 दिवसीय 'गीता प्रश्नोत्तरी'** शुरू किया गया। प्रतियोगिता में प्रतिदिन **गीता और महाभारत** से संबंधित पाँच प्रश्न पूछे जाते हैं। **ओडिशा IGM 2024 का भागीदार राज्य** है।

प्रमुख बिंदु

- **गीता प्रश्नोत्तरी के उद्देश्य:**
  - इस प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य **लोगों,** विशेषकर युवाओं को **गीता और महाभारत** के बारे में **शिक्षित करना** है।
  - प्रतिभागियों को पवित्र पुस्तकें उठाकर उत्तर खोजने, चर्चा और जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
  - यह **प्रश्नोत्तरी मुख्य महोत्सव शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिये एक अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम के रूप में कार्य करती है।**
- **प्रतियोगिता प्रारूप और पुरस्कार:**
  - प्रश्नोत्तरी की दो श्रेणियाँ हैं: सार्वजनिक और विद्यार्थी।
    - प्रत्येक दिन प्रत्येक श्रेणी से 20 विजेताओं को 500-500 रुपए मिलेंगे।
  - प्रश्नोत्तरी के अंत में, प्रत्येक श्रेणी के 25 विजेताओं को 1,000 रुपए मिलेंगे, जिनमें से 10 विजेता हरियाणा से, 10 अन्य राज्यों से और 5 विजेता ओडिशा से IGM 2024 में शामिल होंगे।
  - शीर्ष प्रेरकों को **मौद्रिक पुरस्कार और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जाएंगे।**
- **स्कूली छात्रों और गुणवत्तापूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देना:**
  - स्कूल जाने वाले बच्चे प्रतिभागियों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं।
  - भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये दैनिक विजेताओं की संख्या दोगुनी कर दी गई है, जबकि प्रश्नों की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 (IGM)

- यह उत्सव **नैतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बढ़ावा** देता है तथा आज के चुनौतीपूर्ण समय में प्रासंगिकता प्रदान करता है।
- इस **महोत्सव का उद्देश्य भगवद् गीता की शाश्वत शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करना** है, जिसे प्राय: **"दिव्य गीत"** कहा जाता है।
- **महोत्सव का इतिहास:**
  - हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संयुक्त प्रयासों से **वर्ष 1989 से कुरुक्षेत्र, हरियाणा में गीता महोत्सव मनाया जाता रहा** है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान:**
  - **वर्ष 2016 में** हरियाणा ने इस उत्सव को **अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव** के रूप में घोषित किया, जिसके तहत **कुरुक्षेत्र में दो मिलियन से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ।**
- **हाल के समारोहों की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों एवं शिल्पकारों** की भागीदारी।
  - धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगठनों द्वारा **बड़े शिल्प मेले एवं प्रदर्शनियाँ।**
  - कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा गीता पर आयोजित संगोष्ठी में भारतीय और विदेशी विद्वानों ने भाग लिया।
  - 18,000 विद्यार्थियों द्वारा **गीता का वैश्विक जप।**
  - गीता शोभायात्रा, विभिन्न भारतीय क्षेत्रों के खाद्य स्टाल और एक **भव्य शिल्प मेला।**
- **सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव:**
  - यह महोत्सव **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है, वैश्विक दर्शकों को आकर्षित करता है** और प्रत्येक वर्ष इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।
  - अपने विविध कार्यक्रमों के माध्यम से गीता महोत्सव विभिन्न क्षेत्रों और देशों के लोगों को एकजुट करता है तथा **भगवद् गीता** के सार का उत्सव मनाता है।

नोट :

हरियाणा विधानसभा में पारित विधेयक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2024, हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक 2024, हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 सहित विभिन्न विधेयक पारित किये हैं।

मुख्य बिंदु

- **हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024:**
  - **उद्देश्य: भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा** और भूमि उपयोग को अनुकूलित करने **के लिये कृषि भूमि पट्टों को वैध बनाने हेतु** एक ढाँचा स्थापित करना।
- **समस्याएँ:**
  - भूमि मालिक **लिखित पट्टा** समझौते से बचते हैं **क्योंकि उन्हें डर रहता है कि पट्टेदार उनसे अधिभोग अधिकार मांग सकते हैं।**
  - **अलिखित पट्टे, पट्टेदारों को** प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत प्राप्त करने या फसल ऋण प्राप्त करने से रोकते हैं।
- **अपेक्षित प्रभाव:**
  - भूमि मालिकों और पट्टेदारों दोनों को लाभ पहुँचाने के लिये **औपचारिक पट्टा समझौतों को** प्रोत्साहित किया जाता है।
  - इसका उद्देश्य बंजर भूमि को कम करके **कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है।**
  - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2024:**
- **धारा 23 में संशोधन:**
  - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 23 विभिन्न मजिस्ट्रेटों के सज़ा देने के अधिकार की** रूपरेखा बताती है।
  - यह प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाने वाली सज़ा के प्रकार और सीमाओं को निर्दिष्ट करता है।
  - **धारा 23(2)** के तहत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के लिये अधिकतम जुर्माना 50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया।
  - धारा 23(3) के तहत जुर्माने की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई।
    - उच्चतर जुर्माने की व्यवस्था **परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881** जैसे अधिनियमों के तहत उन मामलों के अनुरूप है, जहाँ चेक की राशि पूर्व सीमा से अधिक होती है।
    - बढ़ाए गए जुर्माने **मोटर वाहन अधिनियम, 1988** के तहत संशोधित यातायात जुर्माने के अनुरूप हैं।
  - **उद्देश्य:** निवारण को मज़बूत करना तथा जुर्माने की सीमा को वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाना।
- **हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक 2024:**
  - **उद्देश्य:** 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में **सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि से अतिरिक्त भुगतान और विनियोग को** अधिकृत करता है।
- **हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024:**
  - **आधार:** GST परिषद की सिफारिशों और **वित्त अधिनियम, 2024** के तहत **केंद्रीय GST अधिनियम, 2017** में संशोधनों को दर्शाता है।
  - **उद्देश्य:** कर प्रशासन को बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय GST विनियमों के साथ एकरूपता और संरेखण सुनिश्चित करना।

नोट :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023

BNSS ने CrPC 1973 को प्रतिस्थापित किया है और इसमें 531 धाराएँ हैं जिनमें 177 धाराएँ संशोधित की गईं, 9 नई धाराएँ जोड़ी गई और 14 धाराएँ निरस्त की गई हैं।

मुख्य प्रावधान

- **न्यायालयों का पदानुक्रम:** मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की विशिष्टता और भूमिका को समाप्त कर दिया गया
- **इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग:** जाँच, पूछताछ और परीक्षण के चरणों में
- **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिये व्यक्तिगत ज़मानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया है।
- **गिरफ्तारी का विकल्प:** किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है; इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं, तो पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है।
- **सामुदायिक सेवा की परिभाषा:** 'वह कार्य जिसे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है, जिससे समुदाय को लाभ होता है, उसके लिये वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।'
- **शब्दावली का प्रतिस्थापन:** अधिकांश प्रावधानों में "मानसिक बीमारी" का स्थान "विकृत चित्त" ने ले लिया है
- **दस्तावेज़ीकरण प्रोटोकॉल:** वारंट के साथ/बिना तलाशी के लिये अनिवार्य ऑडियो-वीडियो दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें रिकॉर्ड की गई सामग्री तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है
- **प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा:** विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा निर्धारित करता है
  - जैसे बहस के बाद 30 दिनों के भीतर फैसला जारी करना
- **चिकित्सा परीक्षण:** कुछ मामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जा सकता है
- **नमूना संग्रह:** मजिस्ट्रेट नमूना हस्ताक्षरों या लिखावट (specimen signatures) आदेशों से आगे बढ़कर, उन व्यक्तियों से भी, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी उंगली के निशान और आवाज़ के नमूने एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **फोरेंसिक जांच:** ≥ 7 वर्ष की कैद वाले दंडनीय अपराधों के लिये अनिवार्य
- **FIR पंजीकरण के संबंध में नई प्रक्रियाएँ:**
  - ज़ीरो FIR दर्ज करने के बाद, संबंधित पुलिस स्टेशन को इसे आगे की जाँच के लिये क्षेत्राधिकार के अनुसार उपयुक्त स्टेशन में स्थानांतरित करना होगा
  - FIR इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है और जानकारी आधिकारिक तौर पर 3 दिनों के भीतर व्यक्ति के हस्ताक्षर पर दर्ज की जाएगी
- **पीड़ित/सूचनाकर्त्ता के अधिकार**
  - पुलिस को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।
  - राज्य सरकार द्वारा गवाह सुरक्षा योजना निर्धारित की जाएगी

प्रमुख मुद्दे

- शुरुआती 40 या 60 दिनों के भीतर 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति दी गई है
- यह पुलिस हिरासत की मांग करते समय जाँच अधिकारी को कारण बताने का आदेश नहीं देती है
- उच्चतम न्यायलय के फैसलों और NHRC दिशानिर्देशों के विपरीत, गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के उपयोग की अनुमति देती है
- एकाधिक आरोपों के मामले में अनिवार्य जमानत का दायरा सीमित है
- भारत में प्ली बार्गेनिंग को सेंटेंस बार्गेनिंग तक सीमित करता है
- संपत्ति जब्त करने की शक्ति का विस्तार चल संपत्ति के अलावा अचल संपत्ति तक भी किया गया है
- कई प्रावधान मौजूदा कानूनों से मेल खाते हैं
- BNSS2 सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित CrPC प्रावधानों को बरकरार रखता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या परीक्षण प्रक्रियाओं और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को एक ही कानून के तहत विनियमित किया जाना चाहिये या अलग से संबोधित किया जाना चाहिये।

दृष्टि The Vision | Drishti IAS

गुरुग्राम में AQI 402 दर्ज किया गया

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गुरुग्राम ज़िले में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 402 दर्ज कर '**गंभीर**' श्रेणी में पहुँच गया।

नोट :

मुख्य बिंदु

- अन्य स्थान जैसे सोनीपत (390), धारूहेड़ा (377), जिंद (358), चरखी दादरी (351), बहादुरगढ़ (347), मानेसर (345), फरीदाबाद (320), हिसार (317), नारनौल (310), सिरसा (309) और पानीपत (303) '**बहुत खराब**' श्रेणी में थे।
- **वायु गुणवत्ता सूचकांक:**
- AQI लोगों को वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में प्रभावी ढंग से जानकारी देने का एक साधन है, जिसे समझना आसान है।
- **दिल्ली और NCR के लिये** विभिन्न AQI श्रेणियों के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु **ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान** तैयार किया गया है।
- **AQI को आठ प्रदूषकों** अर्थात् **PM2.5**, **PM10**, **अमोनिया**, **सीसा (लेड)**, **नाइट्रोजन ऑक्साइड**, **सल्फर डाइऑक्साइड**, **ओज़ोन** और **कार्बन मोनोऑक्साइड** के लिये विकसित किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- इसका **गठन वर्ष** 1974 **में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के तहत किया गया था।
- **CPCB को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के अंतर्गत शक्तियाँ एवं कार्य भी सौंपे गए।
- **यह एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के प्रावधानों के संबंध में **पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

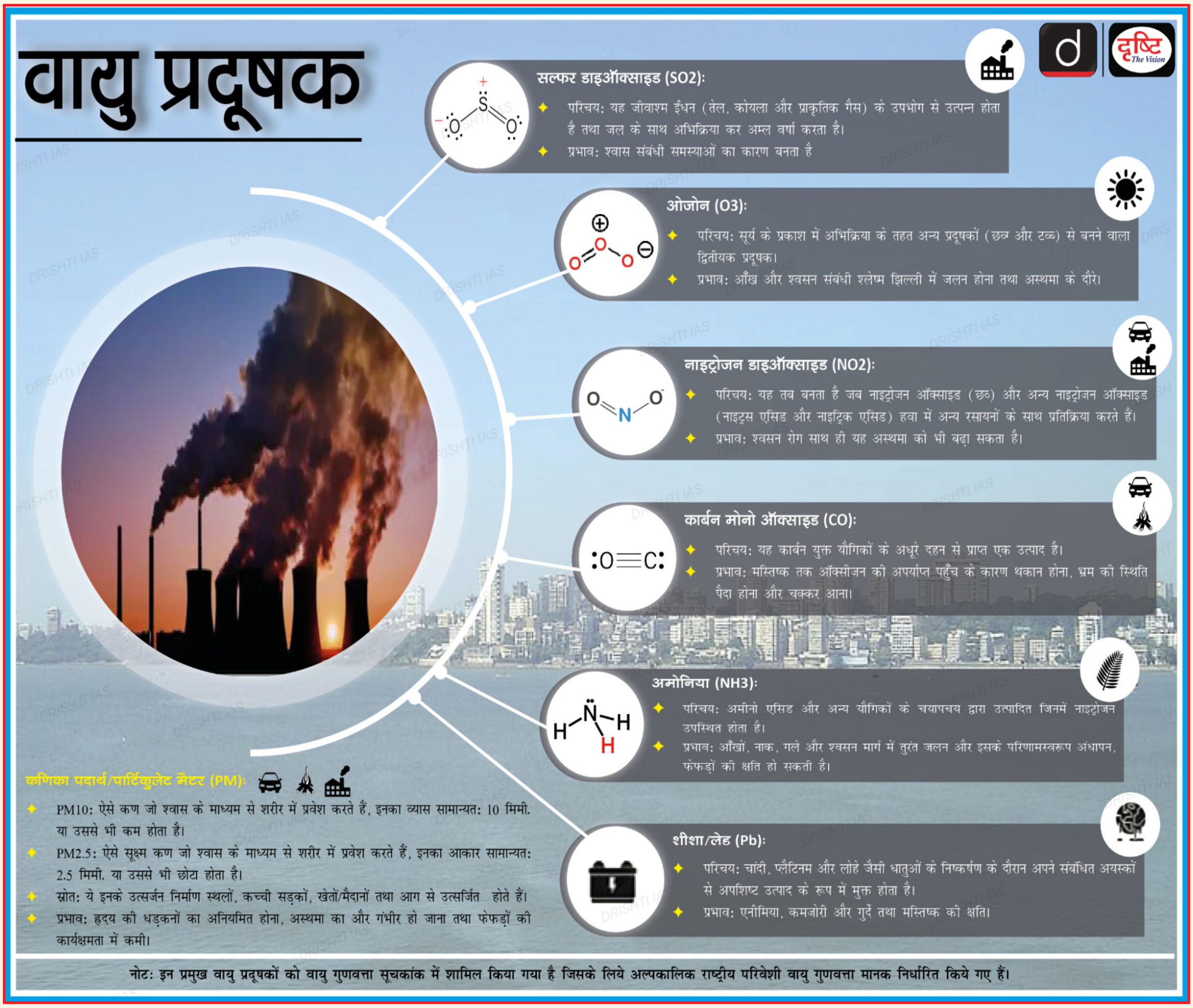

नोट :

गुरुग्राम की ग्रीन बेल्ट में मलबा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **गुरुग्राम नगर निगम (MCG) को गुड़गाँव-फरीदाबाद राजमार्ग** से कचरा और मलबा अरावली वन में **बालीवास गाँव की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील ग्रीन बेल्ट** में फेंकने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ा।

मुख्य बिंदु

- **ग्रीन बेल्ट का महत्त्व:**
    - यह ग्रीन बेल्ट भूजल **पुनर्भरण, कृषि, मनोरंजन के लिये महत्त्वपूर्ण है तथा यहां देवता मंदिर की प्रतिष्ठित पहाड़ी** भी स्थित है, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर इसका विरोध बढ़ रहा है।
    - पर्यावरणविद रेगिस्तानीकरण को रोकने और **अरावली वन पारिस्थितिकी तंत्र** के **संतुलन को बनाए रखने में इस क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।**
- **चिंताएँ:**
    - बलियावास निवासियों को बंधवाड़ी अपशिष्ट डंप और नए डंपिंग स्थल के बीच फँसने का डर है।
    - पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि **लगातार डंपिंग से अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक क्षति हो सकती है,** जिससे मृदा की गुणवत्ता, जैव विविधता और भूजल पुनर्भरण पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **सरकारी एवं प्रशासनिक प्रतिक्रिया:**
    - **हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB)** ने साइट का निरीक्षण करने की योजना बनाई है, जिससे सख्त प्रवर्तन की आशा बढ़ गई है।
    - MCG आयुक्त ने कार्रवाई का वादा किया, स्थिति का आकलन करने के लिये एक समर्पित टीम का गठन किया तथा ग्रीन बेल्ट की रक्षा के लिये उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की सिफारिश की।

अरावली

- **परिचय:**
    - अरावली पर्वतमाला गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है, इसकी लंबाई 692 किमी. तथा चौड़ाई 10 से 120 किमी. के बीच है।
        - यह श्रृंखला एक प्राकृतिक हरित दीवार के रूप में कार्य करती है, **जिसका 80% भाग राजस्थान में तथा 20% हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में स्थित है।**
    - अरावली पर्वतमाला दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित है- **सांभर सिरोही श्रेणी और सांभर खेतड़ी श्रेणी, जो राजस्थान में स्थित है,** जहाँ इनका विस्तार लगभग 560 किलोमीटर है।
    - यह **थार रेगिस्तान और** गंगा के मैदान के बीच एक **इकोटोन के रूप में कार्य करता है।**
        - इकोटोन वे क्षेत्र हैं जहाँ **दो या अधिक पारिस्थितिक तंत्र, जैविक समुदाय या जैविक क्षेत्र मिलते हैं।**
    - **इस पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी गुरुशिखर (राजस्थान) है,** जिसकी ऊँचाई 1,722 मीटर है।
- **अरावली का महत्त्व:**
    - अरावली पर्वतमाला थार रेगिस्तान को सिंधु-गंगा के मैदानों पर **अतिक्रमण करने से रोकती है, जो ऐतिहासिक रूप से नदियों और मैदानों के लिये जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है।**
    - इस क्षेत्र में **300 देशी पौधों की प्रजातियाँ, 120 पक्षी प्रजातियाँ** तथा सियार और नेवले जैसे विशिष्ट पशु मौजूद हैं।
    - मानसून के दौरान, अरावली पहाड़ियाँ **मानसून के बादलों को पूर्व की ओर निर्देशित करती हैं,** जिससे उप-हिमालयी नदियों और उत्तर भारतीय मैदानों को लाभ होता है। सर्दियों में, वे **उपजाऊ घाटियों को शीत पश्चिमी पवनों से बचाते हैं।**
    - यह रेंज वर्षा जल को अवशोषित करके **भूजल पुन:पूर्ति में सहायता करती है,** जिससे भूजल स्तर पुनर्जीवित होता है।
    - अरावली **दिल्ली-NCR के लिये "फेफड़ों" के रूप में कार्य करती है, जो क्षेत्र के गंभीर वायु प्रदूषण** के कुछ प्रभावों को निम्न करती है।

हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने **राज्य भर में शासन को बढ़ाने वाले अभिनव प्रथाओं और असाधारण प्रयासों** के लिये कर्मचारियों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने हेतु **'हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024' शुरू की।**

मुख्य बिंदु

- **सुशासन पुरस्कार योजना का उद्देश्य:**
  - इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में शासन को बढ़ाने वाले नवीन कार्यों और असाधारण प्रयासों के लिये कर्मचारियों को मान्यता प्रदान कर और पुरस्कृत कर **शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।**
- **राज्य स्तरीय पुरस्कार:**
- **प्रमुख योजना पुरस्कार:**
  - प्रमुख परियोजनाओं पर काम करने वाली टीमों को एक ट्रॉफी और मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा प्रमाण-पत्र से पुरस्कृत किया जाएगा।
    - 51,000 रुपए का नकद पुरस्कार टीम के सदस्यों के बीच बराबर बाँटा जाएगा।
  - इस श्रेणी में अधिकतम **छह पुरस्कार दिये जाएँगे।**
- **सामान्य राज्य स्तरीय पुरस्कार:**
  - **शासन संबंधी पहलों में उच्च प्रदर्शन** प्रदर्शित करने वाली टीमों को दिया जाता है।
  - प्राप्तकर्त्ता के सेवा रिकार्ड में एक ट्रॉफी और प्रशंसा प्रमाण-पत्र जोड़ा जाएगा।
  - नकद पुरस्कार:
    - प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए
    - द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए
    - तृतीय पुरस्कार के लिये 21,000 रुपए
  - नकद पुरस्कार टीम के सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किये जायेंगे।
- **ज़िला स्तरीय पुरस्कार:**
  - प्रत्येक जिले के उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
  - पुरस्कारों में एक ट्रॉफी और संभागीय आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा प्रमाण-पत्र शामिल थे।
  - नकद पुरस्कार:
    - प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपए
    - द्वितीय पुरस्‍कार 21,000 रुपए
    - तृतीय पुरस्कार के लिये 11,000 रुपए
- **सुशासन दिवस:**
  - ये पुरस्कार प्रतिवर्ष **25 दिसंबर** को मनाए जाने वाले सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में दिए जाते हैं।

सुशासन (Good Governance)

- **परिचय:**
- **शासन से** तात्पर्य उन **प्रक्रियाओं, प्रणालियों और संरचनाओं से है** जिनके माध्यम से संगठनों, समाजों या समूहों को **निर्देशित, नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।**

- **सुशासन को मूल्यों के एक समूह** के रूप में परिभाषित किया जाता है **जिसके माध्यम से एक सार्वजनिक संस्था सार्वजनिक मामलों का संचालन करती है और सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन** इस तरह से करती है कि मानव अधिकारों, कानून के शासन और समाज की आवश्यकताओं का सम्मान हो।
- विश्व बैंक सुशासन को उन **परंपराओं और संस्थाओं के संदर्भ में परिभाषित करता है जिनके द्वारा किसी देश में सत्ता का प्रयोग किया जाता है।** इसमें शामिल हैं:
- वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकारों का चयन, निगरानी और प्रतिस्थापन किया जाता है
- सरकार की प्रभावी ढंग से ठोस नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने की क्षमता
- नागरिकों और राज्य का उन संस्थाओं के प्रति सम्मान जो उनके बीच आर्थिक और सामाजिक अंत:क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं।
- **सुशासन के मूल सिद्धांतः**

नोट :

बीमा सखी

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री 9 दिसंबर, 2024 को महिलाओं के लिये **'बीमा सखी'** योजना का शुभारंभ करने हेतु पानीपत का दौरा करेंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'** अभियान की शुरुआत की थी।

मुख्य बिंदु

- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा समन्वित आगामी कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिये क्षेत्र का दौरा किया।
  - **इस बात पर ज़ोर दिया गया कि यह कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण का** एक दृढ़ संदेश देगा।
  - उन्होंने पानीपत में शुरू किये गए **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान को** लाखों बालिकाओं की जान बचाने का श्रेय दिया।
- **'बीमा सखी' योजना का शुभारंभ:**
  - मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री 'बीमा सखी' योजना का शुभारंभ करेंगे, **जिसका उद्देश्य राज्य भर में महिलाओं को सशक्त बनाना और लाभान्वित करना है।**

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

- **परिचय:**
  - यह योजना **प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी, 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य** बाल लिंग अनुपात (CSR) में कमी लाना तथा जीवन-चक्र में महिला सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना था।
  - यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MW&CD), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MH&FW) तथा शिक्षा मंत्रालय का **त्रि-मंत्रालयीय प्रयास** है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - लिंग-पक्षपाती लिंग-चयनात्मक उन्मूलन की रोकथाम।
  - बालिकाओं के जीवन और संरक्षण को सुनिश्चित करना।
  - बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना।
  - बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना।
- **BBBP के अंतर्गत नवीन हस्तक्षेप:** जिन नवाचारों ने लड़कियों के लिये सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र/सक्षम वातावरण का निर्माण किया है, उनमें शामिल हैं:
  - **गुड्डी-गुड्डा बोर्ड:** जन्म के आँकड़ों का सार्वजनिक प्रदर्शन (लड़कियों की संख्या बनाम लड़कों की संख्या)। उदाहरण: महाराष्ट्र के जलगाँव ज़िले में डिजिटल गुड्डी-गुड्डा डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं।
  - **लिंग आधारित रूढ़िवादिता को तोड़ना और पुत्र-केंद्रित रीति-रिवाज़ों को चुनौती देना:** बालिका के जन्म पर उत्सव मनाना, बालिका के महत्त्व पर विशेष दिन समर्पित करना, बालिकाओं के पालन-पोषण और देखभाल के प्रतीक के रूप में **वृक्षारोपण अभियान चलाना।** उदाहरण: कुड्डालोर (तमिलनाडु), सेल्फी विद डॉटर्स (जींद ज़िला, हरियाणा)।

हरियाणा के किसानों को उर्वरक की कमी का सामना करना पड़ रहा है

चर्चा में क्यों?

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण राज्य हरियाणा, **उर्वरक की कमी** और पराली जलाने **पर जुर्माने के** बढ़ते संकट का सामना कर रहा है।

- इसमें **शासन की चुनौतियों, ग्रामीण संकट** तथा नीति कार्यान्वयन और किसानों के कल्याण के बीच नाजुक संतुलन पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य बिंदु

- **उर्वरक की कमी:**
  - राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सरकार के इनकार के बावजूद, हरियाणा में **रबी सीजन** के लिये महत्त्वपूर्ण उर्वरक, **डायमोनियम फॉस्फेट (DAP)** की भारी कमी देखी गई है।
- **आपूर्ति में कमी:**
  - अक्तूबर 2024 में अनुमानित आवश्यकताओं और उपलब्धता के बीच 38% का अंतर, स्थिर वैश्विक DAP कीमतों के बावजूद कम आयात के कारण और भी अधिक बढ़ गया है ।
- **आयात पर निर्भरता:**
  - आयातित उर्वरकों और **फॉस्फोरिक एसिड जैसे कच्चे माल पर भारत की भारी निर्भरता** ने इस क्षेत्र को वैश्विक मूल्य अस्थिरता और एकाधिकार के प्रति संवेदनशील बना दिया है।
- **नीतिगत अंतराल:**
  - **उर्वरक वितरण को** विनियमित करने के लिये **प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों** की शुरूआत ने अनजाने में पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे कई किसानों को काला बाज़ारी का सहारा लेने के लिये विवश होना पड़ रहा है।
- **पराली जलाना:**
  - **रबी की बुवाई** के लिये खेतों को साफ करने के लिये किसानों द्वारा की जाने वाली मौसमी प्रथा **पराली जलाने की, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR)** में **वायु प्रदूषण** बढ़ाने के लिये इसकी कड़ी आलोचना की गई है।
    - हरियाणा सरकार ने केंद्रीय निर्देशों का पालन करते हुए भारी जुर्माना लगाया है तथा उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने के लिये कृषि अभिलेखों में "लाल प्रविष्टियाँ" शुरू की हैं।
- **संबंधित चुनौतियाँ:**
  - **किसान प्रतिरोध:** किसानों का तर्क है कि व्यवहार्य विकल्पों के अभाव में पराली जलाना एक आवश्यकता है।
    - **जुर्माने, FIR** और खरीद के लिये **फसलों को काली सूची** में डालने से आक्रोश बढ़ गया है।
  - **असंगत दोष:** हालाँकि पराली जलाना वायु प्रदूषण में योगदान देता है, लेकिन किसानों को लगता है कि निर्माण और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे अन्य स्रोतों की तुलना में उन्हें अनुचित रूप से निशाना बनाया जाता है।
  - **नीतिगत विरोधाभास:** कोई आपराधिक दायित्व न होने के पूर्व आश्वासनों के बावजूद, सरकार ने **दंडात्मक उपायों को तीव्र कर दिया है, जिससे** कृषक समुदाय में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है।
  - **व्यापक कृषि संकट: उर्वरक की कमी** और **पराली जलाने पर दंड का** दोहरा संकट हरियाणा के कृषि प्रशासन में गहरे प्रणालीगत मुद्दों को दर्शाता है।
    - किसानों को उर्वरकों की कालाबाज़ारी, मंडी खरीद प्रक्रियाओं में अनियमितताएं तथा बटाईदार किसानों को अपर्याप्त सहायता जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।

आगे की राह:

- इस मुद्दे पर व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जैसे कि **पराली प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना** और केवल दंडात्मक उपायों के बजाय वैकल्पिक उपायों को प्रोत्साहित करना।
- पर्यावरणीय उद्देश्यों और कृषि वास्तविकताओं के मध्य बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
- सुदृढ़ खरीद, भंडारण और वितरण तंत्र के माध्यम से उर्वरकों जैसे आवश्यक इनपुट की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- पराली जलाने के लिये किसान-अनुकूल विकल्प विकसित करना और तकनीकी हस्तक्षेप के लिये पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करना।
- उर्वरकों और कच्चे माल के घरेलू उत्पादन में निवेश के माध्यम से आयात पर निर्भरता कम करना।

नोट :

'ग्रीन वॉयस' पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा सिंचाई विभाग के पूर्व अधीक्षण अभियंता शिव सिंह रावत को क्षेत्र में सतत् पर्यावरणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिये, **नवज्योति इंडिया फाउंडेशन, एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा 'ग्रीन वॉयस' पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है।

मुख्य बिंदु

- यह पुरस्कार **नवज्योति इंडिया फाउंडेशन के स्थापना दिवस पर प्रदान किया गया, जो** पूरे भारत में जल संरक्षण पर सक्रिय रूप से काम करने वाला संगठन है।

भारत में विकासात्मक समूह

स्वयं सहायता समूह (SHG)

- समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और रुचियों वाले लोगों का स्व-शासित सहकर्मी-नियंत्रित (Peer-Controlled) सूचना समूह
  - सदस्यों की अनुमति: 5-20 | पंजीकरण आवश्यक नहीं
  - SHG सदस्यों को ऋण प्रदान करने के लिये बचत राशि का उपयोग करते हैं
- नाबार्ड का SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992)- SHG को औपचारिक बैंकिंग संस्थाओं से जोड़ना
- भारत में ~ 88% SHG में सभी महिला सदस्य हैं
- **सफलता की कहानियाँ:**
  - वर्ष 1972 से स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA)
  - केरल में कुडुम्बश्री (वर्ष 1998)

सहकारी समितियाँ

- जन-केंद्रित उद्यम, जो अपने सदस्यों के स्वामित्व में उनके द्वारा नियंत्रित और उनके लिये संचालित होते हैं।
  - सदस्यों के साझा योगदान के माध्यम से एकत्रित की गई पूंजी।
- **विनियमन अधिनियम:**
  - बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002
  - राज्य सहकारी समिति अधिनियम
- **97वाँ संविधान संशोधन (2011):**
  - सहकारी समितियाँ निर्माण करने का अधिकार - एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c))
  - अनुच्छेद 43B (DPSP) - सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
  - भाग IX-B जिसका शीर्षक है "सहकारी समितियाँ" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT)।
- **उदाहरण:** अमूल, इफको और पैक्स

गैर-सरकारी संगठन (NGO)

- पीड़ा को दूर करने, निर्धनों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण का संरक्षण करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने या सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ संचालित करना।
- **पंजीकृत:**
  - **सोसायटी:** सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
  - **ट्रस्ट:** भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882
  - **कंपनियाँ:** धारा 8 कंपनी अधिनियम, 2013
- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 19(1)(c)-** संघ बनाने का अधिकार
  - **अनुच्छेद 43-** ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
  - **समवर्ती सूची** में धर्मार्थ संस्थाओं का उल्लेख है

FCRA विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक सभी गैर सरकारी संगठनों के लिये पंजीकरण अनिवार्य करता है।

- **प्रमुख NGO:**
  - **NGO प्रथम:** ग्रामीण भारत में बच्चों के सीखने के स्तर का आकलन करने के लिये ASER रिपोर्ट की अगुआई की।
  - **अक्षय पात्र फाउंडेशन:** स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया।

NGO- दर्पण प्लेटफॉर्म - NGO और सरकारी निकायों के बीच एक इंटरफेस।

दृष्टि The Vision | d
Drishti IAS

नोट :

- **शिव सिंह रावत ने सामाजिक कार्यों** में अपने वर्षों के योगदान पर प्रकाश डाला, जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया:
    - जल संरक्षण एवं **पर्यावरण संरक्षण**।
    - फल रोपण अभियान।
    - शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि करना।
- **महिला सशक्तीकरण** को बढ़ावा देना।
- **क्षेत्रीय योगदान:**
    - उनका कार्य पलवल, गुड़गाँव, मेवात और फरीदाबाद सहित कई क्षेत्रों में विस्तृत है।
- उन्होंने क्षेत्र में **जल संरक्षण** के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये '**यमुना बचाओ अभियान**' के समन्वयक के रूप में भी काम किया।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD)** ने **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)** के तहत **राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार (NGRA) 2024** के विजेताओं की घोषणा की।

- यह पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है और इसे **राष्ट्रीय दुग्ध दिवस** **(26 नवंबर, 2024) पर प्रदान किया जाता है।**

मुख्य बिंदु

- **पुरस्कार का उद्देश्य:**
    - NGRA का उद्देश्य पशुपालन और डेयरी में योगदान को मान्यता देना और प्रोत्साहित करना है।
- **पुरस्कार श्रेणियाँ:**
    - **स्वदेशी गाय/भैंस नस्लों** का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान,
    - सर्वश्रेष्ठ **कृत्रिम गर्भाधान** तकनीशियन (AIT)
    - सर्वोत्तम डेयरी सहकारी/दूध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन।
    - पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के लिये विशेष पुरस्कार वर्ष 2024 में शुरू किये गए।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के लिये विशेष मान्यता:**
    - वर्ष 2024 से, क्षेत्र में डेयरी विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये तीनों श्रेणियों में पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के लिये एक विशेष पुरस्कार शामिल किया गया है।
- **प्रत्येक श्रेणी का प्रथम रैंक विजेता है:**
    - **देशी गाय/भैंस नस्लों का पालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान** - श्रीमती रेणु, झज्जर, हरियाणा।
    - **सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति/दूध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन**- द गाबात मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अरावली, गुजरात।
    - **सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (AIT)**- श्री भास्कर प्रधान, सुबरनापुर, ओडिशा।

नोट :

- **पशुधन क्षेत्र पर पृष्ठभूमि:**
  - पशुधन क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के **सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA)** में एक-तिहाई का योगदान देता है तथा इसकी **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** 8% से अधिक है।
  - यह **किसानों की आय बढ़ाने, विशेषकर भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों तथा महिलाओं के लिये** तथा **किफायती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- दिसंबर 2014 में **राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया।**
- **NPBBDD के दो घटक हैं:**
  - **राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन कार्यक्रम (NPBB):** मान्यता प्राप्त देशी नस्लों का संरक्षण और विकास।
  - **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):** दूध संघों/महासंघों द्वारा उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।
- **उद्देश्य:**
  - देशी गोजातीय नस्लों का संरक्षण एवं विकास।
  - स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता में सुधार लाकर उनके आर्थिक योगदान को अधिकतम करना।

✦ ✦ ✦ ✦

The Vision